

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## —:: संशोधन आदेश ::—

इस कार्यालय द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के विभिन्न विषय के आदेश जारी किये गये थे, में संबंधित कार्मिक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र स	नाम कार्मिक एवं पदस्थापन स्थान	मूल आदेश क्रमांक/दिनांक	जारी संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4
1	<b>LADHU RAM -</b> (LECT. GEOGRAPHY) GSSS. GOGAMERI NOHAR (212363) HANUMANGARH	शिविरा/मा/संस्था/ सी-5/सेवानिवृति/ 2020-21/1-63 दिनांक 08.02.2021	सेवानिवृति आदेश दिनांक 08.02.2021 में क्रम संख्या 23 पर कॉलम संख्या 3 में अंकित LADHU RAM के स्थान पर LADHU RAM NEHRA पढ़ा जावें।
2	<b>VIMLA BISHNOI -</b> (LECT. RAJASTHANI) GSSS GAJESINGH PURA GAJESINGH NAGAR SHERGARH JODHPUR	शिविरा/माध्य/संस्था / सी-5/वेतन व्यवस्था/2020-21/1 21 दिनांक 25.03.2021	वेतन व्यवस्था आदेश दिनांक 25.03.2021 में क्रम संख्या 1 पर कॉलम संख्या 5 में अंकित राउमावि. धवा, जोधपुर वाणिज्य (व्याख्याता) के रिक्त पद से के स्थान पर राउमावि. गजेसिंहपुरा, गजेसिंह नगर जोधपुर के राजस्थानी (व्याख्याता) के रिक्त पद से पढ़ा जावें।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक 19/04/2021

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/संशोधन/626

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा.शि./मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य/संबंधित आशार्थी।
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर